

19.03.25

पत्रावली वैश डुई। वकील उभयपक्ष उपर ।

वकील उभयपक्ष की बयत पर मगन कने एवं
पत्रावली का अवलोकन कने पर पार्थी का पत्र
पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली
बाद तरीब तकमील होकर शाण्डिल दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर जूले न्यायालय में
सुनाया गया।

(सुरेश कुमार शर्मा)

RAS

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना